District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 54 of 2018

(Jamui Sc.St P.S. Case No.- 31/2017)

Date of Judgement : 23-05-2026

State of Bihar through informant Sangita Hasanda Vs. Tribhuwan Yadav & others

बिहार राज्य द्वारा सूचिका संगीता हॉसदा

बनाम

1. **त्रिभुवन यादव,** उम्र ...41..वर्ष, पिता–भौरी यादव,
2. **जटल यादव,** उम्र ..52...वर्ष, पिता–भौरी यादव,
3. **पावरीत यादव,** उम्र ...51..वर्ष, पिता–भौरी यादव,

सभी निवासी ग्राम–कुडिलो, थाना गिद्धौर, जिला–जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 504 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री प्रसिद्ध नारायण सिंह, विद्वान अधिवक्ता**

दिनांक :–23.05.2026

निर्णय

1. कांड के सूचिका संगीता हॉसदा, पति– मंझला हॉसदा के द्वारा थानाध्यक्ष, जमुई एस0सी0/एस0टी थाना को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर जमुई एस0सी0/एस0टी थाना में यह कांड प्राथमिकी संख्या–31/2017 के रूप में भा0द0वि 341, 323, 354, 504 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–18/2018, भा0द0वि 341, 323, 504 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया। परिणामस्वरूप इस मामले में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के करने के लिये संज्ञान लिया गया।

2. कांड के सूचिका संगीता हॉसदा पति मंझला हॉसदा द्वारा थानाध्यक्ष, जमुई एस0सी0/एस0टी0 थाना को दिये गये टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि वह वीरेन्द्र कुमार यादव पिता रामेश्वर यादव ग्राम कुडिला थाना गिद्धौर जिला जमुई के घर पर रहकर वर्ग दशम में पढ़ती हूँ। दिनांक 13.07.2017 को सुबह आठ बजे बृहस्पतिवार को आंगनबाड़ी केन्द्र के बगल में निर्मित बराण्डा में बैठकर पढ़ रही थी। त्रिभुवन यादव, जटल यादव एवं पावरीत यादव पिता भौरी यादव गॉव कुडिला थाना गिद्धौर जिला जमुई के रहने वाला है। त्रिभुवन यादव बराण्डा में आकर उसको हरामजादी, सौतारनी कह कर बुरा–बुरा गाली देने लगा। जब वह गाली देने से मना की तो सभी लोग एक साथ मिलकर लप्पड़–थप्पड़, लात–घुसा से मारने लगे तथा काफी बुरा–बुरा गाली

बपचोदी, रंडी कह कर गाली देते हुए बराण्डा पर धकेल दिया। तभी उसके हल्ला को सुनकर आंगनबाड़ी सेविका निर्मला देवी आई तथा उनलोगों को गाली–गलौज देने से मना करने लगी। इसके बावजूद त्रिभूवन यादव उसका फ्राक को आगे से पकड़कर फाड़ दिया। फ्राक फाड़ देने के कारण वह अर्धनग्न हो गई। उसको सार्वजनिक स्थान पर आदिवासी समझकर बेईज्जत किया गया।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2018 को भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 504 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मात्र 01 साक्षी सुबोध यादव उर्फ सुवेत प्रसाद यादव का साक्ष्य करवाया गया है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्त ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 1** सुबोध यादव उर्फ सुवेत प्रसाद यादव, ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक 13.07.2017 समय 8 बजे सुबह की है। उस समय वह अपने घर से खेत पर जा रहा था तो देखा कि आंगनबाड़ी केन्द्र में संगीता हांसदा को जटल यादव, पावरीत यादव, त्रिभुवन यादव गाली गलौज मादरचोद, रंडी, सौतारणी संथाल गाली गलौज कर रहा था तथा बोल रहा था कि ''तुम बिरेन्द्र यादव के घर की मालकिन बनती हो''। वह उस जगह गया जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा था। संगीता हांसदा को त्रिभुवन यादव और पावरीत यादव लात घुसा से मार रहा था तथा त्रिभुवन यादव ने आगे से फरॉक फाड़ दिया। उसके बाद जाते–जाते त्रिभुवन यादव बोला कि थाना में केस करोगी तो ''सौतारणी तुमको बर्बाद कर देगे''। ये लोग समझाने की कोशिश किए लेकिन त्रिभुवन यादव काफी मनबढु ढंग का आदमी है वह किसी भी आदमी से झगड़ा कर देता है। वह सभी अभियुक्तों को पहचानता है। **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी का कथन है कि अभियुक्तगण उसके गांव का है। अभियुक्तगण यादव जाती के है। उसका नाम सुबेत प्रसाद यादव उर्फ सुबोध यादव है। इस केस के मुदई से उसकी दोस्ती नहीं है और ना ही अभियुक्तगण से उसका कोई सरोकार है। **बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर शेष प्रति परीक्षण अगली तिथि दिनांक–25.06.2019 को स्थगित किया गया किंतु यह साक्षी फिर कभी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुआ।**

7. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्तों के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 504 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित

Date of Judgement : 23-05-2026

State of Bihar through informant Sangita Hasanda Vs. Tribhuwan Yadav & others

जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

8. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि इस केस में अभियोजन की ओर से मात्र एक साक्षी संख्या 1 सुबोध यादव उर्फ सुबेत प्रसाद यादव सशपथ मुख्य परीक्षा वर्ष 2019 को कराया गया तथा प्रति परीक्षा अगली तिथि के लिए स्थागित हुआ किंतु आज तक यह साक्षी सुबोध यादव उपस्थित नहीं हुआ। मेरे विचार से यह अधूरा साक्ष्य आरोप के अवधारण हेतु विचारणीय नहीं है। इस प्रकार से मेरे विचार से यह मामला साक्ष्य विहीन मामला है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण **1. त्रिभुवन यादव, 2. जटल यादव, 3. पावरीत यादव,** को उनके विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 504 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–23.05.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–23.05.2026